

ज्ञापन क्रमांक 578/कार्य/ 2017
प्रति,

सक्ती, दिनांक 12/02/2017

जन सूचना अधिकारी

कलेक्टर जिला - जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)


विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005 की धारा 4 (1) के अनुसार 17 श्रेणियों को वेबसाइट में दर्ज कराने बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र 20516/सू.का.अधि./2017 जांजगीर दिनांक 27.12.2017।

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005 की धारा 4 (1) के अनुसार 17 श्रेणियों की जानकारी तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर सादर प्रेषित है।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।



कार्यपालन अभियंता
मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6
नंदेलीभांठा-सक्ती

**कार्यालय कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक-6
नंदेलीभांठा-सक्ती जिला जांजगीर-चांपा, छ.ग.**

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-4(1) के अंतर्गत 17 बिन्दुओं की जानकारी

स.क्र.	बिन्दु	जानकारी
1	अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य	मिनीमाता बांगो परियोजना के बांयी तट नहर किमी. 44 से 49.77 तक सक्ती शाखा नहर किमी 0 से 31.44 एवं खरसिया शाखा नहर किमी 0 से 7 तक एवं इनकी प्रणालियों के निर्माण, रखरखाव एवं सिंचाई का कार्य तथा बोराई नदी एवं सोन नदी में एनीकट निर्माण कार्य, संभाग अंतर्गत क्षेत्र में निर्माण कार्य/ कार्य का रखरखाव एवं सिंचाई कार्य। कर्तव्य:- गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य का संपादन एवं नहरों के अंतिम छोर के खेतों तक सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराना अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक करना।
2	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	शासन प्रशासन के कामकाज पारदर्शिता के साथ उत्तरदायित्व पूर्वक निर्वहन करना।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चाही गई जानकारी निर्धारित समय में आवेदक को प्राप्त हो सके सुनिश्चित करना एवं प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना।
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान	चाही गई जानकारी नियमानुसार निर्धारित समय पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करना।
5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम विनियम,अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।	नियम, विनियम,अनुदेश, निर्देशिका एवं अभिलेख समय पर संधारित कराये जाना सुनिश्चित किया जाता है एवं प्रक्रिया में पारदर्शिता का पालन कराया जाना निर्देशित किया जाता है।
6	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण।	प्रवर्गों का संधारण समय-समय पर संधारित करने का निर्देश दिया गया है।
7	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जनता के लिए पारदर्शिता एवं सहसुलभ होने चाहिए इसके लिए अधिनियम के अंतर्गत सूचना फलक लगाए गए है।
8	ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के	हाँ होगी।

	विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी	
9	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम का पालन करने निर्देशित किया गया है।
10	अपने प्रत्येक अधिकारी ओर कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।	सूचना के अधिकार के अधिनियम के जानकारी के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं लिया जाता है।
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों का रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट।	निर्माण स्थल पर उल्लेख करते हुए सूचना पटल पर, सूचना फलक लगाये जाते हैं।
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है।	दर्शाए जाते हैं।
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्ति कताओं की विशिष्टियां	सूचना फलक या वाल पेंटिंग के रूप में दर्शाए जाते हैं।
14	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हो	वाल लेखन एवं सूचना बोर्ड में उपलब्ध जानकारी दर्शाए जाते हैं।
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनके अंतर्गत किसी पुस्तकालय या वाचनकक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है।	कार्यालयीन समय पर जानकारी प्राप्त करने की सूचना कार्यालय में लगायी गई है।
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां	श्री बी.एल.आर्या, कार्यपालन अभियंता मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र 06 नंदेलीभांठा सक्ती, श्री आर.के. रामारिया अनुविभागीय अधिकारी ह. स.मा.उप. संभाग क्र 03 सक्ती, श्री आर.के.दिक्षीत अनुविभागीय अधिकारी जां.शा.न. उप.संभाग क्र 04 सक्ती एवं श्री आर.एन.सिंग अनुविभागीय अधिकारी मिनीमाता बांगो बांध उपसंभाग क्र 05 सक्ती
17	ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए।	अधिनियम से संबंधित निर्देश कार्यालयों में प्रदर्शित किये गये हैं।


 कार्यपालन अभियंता
 मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र 06
 नंदेलीभांठा सक्ती